

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 111/2010 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना

मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0 ।

-----अभियोजन

बनाम

1. मुरारी पुत्र कुंवरपाल वघेल उम्र 28 साल ।
  2. रामलखन उर्फ लखना पुत्र बालाराम वघेल उम्र 25 साल ।
  3. बीरेन्द्र पुत्र कुंवरपाल वघेल उम्र 26 साल ।
  4. मनोज पुत्र बलराम वघेल उम्र 21 साल ।
- समस्त निवासी ग्राम लहचूरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0 ।

.....अभियुक्तगण

---

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री मनीष शर्मा  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 213/2010 इ0फौ0  
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 111/2010

---

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर ।  
अभियुक्त द्वारा श्री एम.पी.एस.राणा अधिवक्ता ।

---

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 19-11-2014 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 294, 329 एवं विकल्प में धारा 329/34 भारतीय दंड विधान आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 02.03.2010 को दस बजे प्रातः करीब बनिया वाला खेत के पास सड़क पर ग्राम लहचूरा में सार्वजनिक स्थान से लगे हुए भाग पर अभियोग रामकृष्ण, प्रीतम एवं उसका साला कमलेश को अश्लील गलियाँ देकर क्षोभ कारित किया तथा उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अभियोगी रामकृष्ण तथा उसके भाईयों से शराब पीने के लिए पैसों की माँग की तथा उक्त अवैध मांग के लिए मजबूर करने के प्रयोजन से अभियोगी रामकृष्ण, प्रीतम एवं

कमलेश को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की एवं वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सह आरोपीगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए फरियादी रामकृष्ण व अन्य से शराब पीने के लिए पैसों की माँग की और उस अवैध माँग की पूर्ती के लिए मजबूर करने के प्रयोजन से उन्हें घोर उपहति कारित की।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 02.03.2010 को फरियादी रामकृष्ण अपनी भैंसो को चराने के लिए खेत पर गया था उसके साथ उसके भाई प्रीतम और उसका साला कमलेश भी था। तभी आरोपी लखना ने उससे दारू पीने के लिए पैसों की माँग की उसने पैसे देने से मना किया और उसके बाद भैंस लेकर हार की तरफ रोड से आ रहा था इतने में पीछे से आरोपी मनोज, लखना, मुरारी एवं बीरेन्द्र वधेल लाठियाँ लेकर आ गए और तीनों को माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे जो कि सुनने में बुरी लगी। उक्त लोगों को गाली देने से मना किया तो बीरेन्द्र ने एक लाठी प्रीतम को मारी जो कि उसके सिर में बीचों बीच लगी और खून निकल आया फिर प्रीतम के दोनों हाथों में बीरेन्द्र ने लाठियाँ मारी जिससे उसे चोटें लगकर खून निकल गया और वह वहीं पर गिर पड़ा। बीच बचाव करने के लिए वह गया तो उसे भी आरोपी मनोज ने एक लाठी सिर पर मारी और लखना ने भी सिर पर लाठी मारी, मुरारी के द्वारा भी लाठी से मारपीट की गई जिससे उसके बाँए हाथ की कलाई, बखा, पीठ और शरीर में अन्य जगह चोटें आई। प्रीतम का साला कमलेश बचाने के लिए आया तो उसे भी आरोपीगण लाखन, बीरेन्द्र, मनोज और मुरारी ने लाठी से मारपीट की जिससे उसको भी कोहनी, हाथ, सिर, पेर, घुटना, पीठ और शरीर के अन्य भागों में चोटें आई। बीच बचाव करने के लिए फरियादी का भाई रामलखन, बृन्दावन और गाँव के बहुत सारे लोग आ गये थे जिन्होंने बीच बचाव किया। घटना की रिपोर्ट फरियादी रामकृष्ण के द्वारा आहतगण के साथ थाना मालनपुर पर की जिस पर से थाने में अपराध क्रमांक 28/2010 धारा 327, 324, 323, 294, 34 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध किया गया। आहतों का चिकित्सीय परीक्षण एवं एक्सरे परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान एक्सरे रिपोर्ट में आहत रामकृष्ण, कमलेश और प्रीतम को अस्थिभंग होना पाया गया जिस पर से धारा 329 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। प्रकरण की विवेचना आगे की गई। विवेचना के दौरान वॉस की लाठियों की जप्ती आरोपी मनोज, बीरेन्द्र, मुरारी एवं रामलखन से की गई। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के

आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 294, 329, 329/34 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए रंजिश के कारण साक्षीगण के द्वारा झूठा कथन करना अभिकथित किया। बचाव में बचाव साक्षी बलराम ब.सा. 1 एवं रामजीलाल ब.सा. 2 के कथन कराए गए हैं।

05. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 02.03.2010 को दस बजे प्रातः बनिया वाले खेत के पास सडक पर ग्राम लहचूरा में आरोपीगण के द्वारा सार्वजनिक स्थान या उसके निकट फरियादी रामकृष्ण, प्रीतम एवं कमलेश को अश्लील गालियाँ देकर उन्हें क्षोभ कारित किया?
2. क्या घटना दिनांक को घटना स्थल पर आरोपीगण के द्वारा अभियोगी रामकृष्ण और उसके भाई प्रीतम व कमलेश से अवैध रूप से पैसों की माँग की?
3. क्या आरोपीगण द्वारा उक्त अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के प्रयोजन से पैसों की माँग की गई?
4. क्या आरोपीगण के द्वारा अभियोगी रामकृष्ण व आहत प्रीतम व कमलेश को मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की?
5. क्या आरोपीगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए अभियोगी रामकृष्ण एवं आहत प्रीतम और कमलेश को स्वेच्छया मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की जो कि उनके द्वारा अवैध मांग की पूर्ती न होने के अनुक्रम में उक्त घटना की गई?

**-: सकारण निष्कर्ष:-**

बिन्दु क्रमांक 01 :-

06. धारा 294 भा0दं0वि0 के अपराध की प्रमाणिकता हेतु सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील शब्द उच्चारित किया जाना अवश्यक है कि फरियादी एवं अन्य सुनने

वालों को क्षोभ कारक हो। घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किए जाने का जहाँ तक प्रश्न है इस बिन्दु पर फरियादी रामकृष्ण के न्यायालय में हुए कथन में कहीं भी आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा घटना स्थल पर अश्लील शब्द उच्चारित किए जाने के संबंध में अपने साक्ष्य कथन में कोई बात नहीं बताई है। साक्षी प्रीतम अ0सा0 2 यद्यपि माँ बहन की गाली देना बता रहा है, किन्तु गाली के शब्द क्या थे ऐसा कहीं भी उसके द्वारा नहीं बताया गया है। साक्षी कमलेश अ0सा0 3 के कथन में भी अश्लील शब्द उच्चारित किये जाने का कोई तथ्य नहीं आया है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य किसी भी साक्षी के कथन में घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादी को सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील गाली गलोज कर क्षोभ कारित किये जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान बिन्दु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

#### बिन्दु क्रमांक 2 लगायत 5 :-

07. डॉ० आलोक शर्मा अ0सा0 5 के अनुसार दिनांक 02.03.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान उन्होंने आहत रामकृष्ण, कमलेश एवं प्रीतम का चिकित्सीय परीक्षण किया था। आहत रामकृष्ण को परीक्षण में उसके शरीर पर निम्न चोटें पाई थी जो निम्न है— चोट क्र. (1)— सिर के बाएं भाग में 6X.3X.2 से.मी. का कटा हुआ घाँव था। (2)— माथे पर दाईं तरफ 2X.3X.2 से.मी. का कटा हुआ घाँव था। (3) सिर में पीछे की तरफ 3X.5X.2 से.मी. का फटा हुआ घाँव था। (4)— बाईं कलाई पर 3X2 से.मी. नील का निशान था जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। (5)— वखा में दाईं तरफ 3X1.5 से.मी. का नील का निशान था जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी थी। (6)— दाहिने कूल्हे पर 3X1.3 से.मी का नील का था। उक्त चोटों में चोट क्रमांक 1 व 2 धारदार वस्तु से तथा शेष चोटें कड़े व भौतरी वस्तु आना संभावित थी। चोट क्रमांक 4 व 5 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी एवं शेष चोटें सामान्य प्रकृति की थी जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 9 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

08. आहत कमलेश जिनका कि उसी दिनांक को मेडीकल परीक्षण किया गया था उसके शरीर पर निम्न चोटें आई थी— चोट क्र. (1)— दाईं अग्र भुजा में उपर के 1/3 भाग में फटा हुआ घाँव 1X.5 X .3 से.मी. आकार की थी। (2)— बाईं अग्र भुजा में नीचे के 1/3 भाग में 2X1 से.मी. का नील का निशान था। (3)— सिर में 2X.3X5 से.मी आकार का फटा हुआ घाँव था। (4)— वखा में दाईं तरफ 5X1.5 से.मी का नील का निशान था। (5)— बाईं कोहनी

में 2X1 से.मी नील का निशान था। आहत के शरीर पर आई हुई चोटें कड़े व भौतरी वस्तु से परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की होना पाई थी। चोट क्रमांक 1 व 2 के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. उक्त साक्षी के द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि आहत प्रीतम के मेडीकल परीक्षण में उसके शरीर पर निम्न चोटें पाई थी— चोट क्रमांक (1)— सिर में बाईं तरफ 8X3.2 से.मी का कटा हुआ घाव था। (2)— बाएं हाथ में पीछे की तरफ 4X2 से.मी का नील का निशान था। (3)— बाईं अग्र भुजा में नीचे के 1/3 भाग में नील का निशान था। (4)— दाईं अग्र भुजा में बीच के 1/3 भाग में नील का निशान था। (5)— दाएं कंधे में 3X2 से.मी. का नील का निशान था। चोट क्रमांक 1 धारदार वस्तु से तथा शेष चोटें कड़े एवं भौतरी वस्तु से आना संभावित थी जो कि परीक्षण के 6 घण्टे की अवधि की थी। चोट क्रमांक 1 साधारण प्रकृति की थी और शेष चोटों की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। रिपोर्ट प्र. पी. 11 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

10. उक्त साक्षी के अनुसार आहत रामकृष्ण, प्रीतम एवं कमलेश का एक्सरे परीक्षण भी उनके द्वारा किया जाना बताया है। एक्सरे परीक्षण में आहत रामकृष्ण को अलना हड्डी के निचले भाग में अस्थिभंग होना पाया गया था। आहत प्रीतम की दूसरी, तीसरी मेटाकार्पल अस्थि में अस्थिभंग होना पाया गया था तथा आहत कमलेश के अलना हड्डी के निचले भाग में अस्थि भंग होना पाया गया था। इस संबंध में उनके रिपोर्ट प्र.पी. 12, 13, 14 हैं जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं।

11. इस प्रकार डॉक्टर आलोक शर्मा के उपरोक्त साक्ष्य कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् किये गये परीक्षण में उन्होंने आहत रामकृष्ण, प्रीतम और कमलेश के शरीर पर उपरोक्त बताए अनुसार चोटें पाई थी तथा उन्हें अस्थिभंग होना भी पाया गया था। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या अभियोजन के द्वारा यह प्रमाणित कराया जा सका है कि आरोपीगण के द्वारा अभियोगी व अन्य आहतों से शराब पीने के लिए पैसों की अवैध मांग की गई थी? क्या उक्त अवैध मांग की पूर्ती करने हेतु उनके द्वारा आहतों को उपरोक्त बताई हुई गंभीर उपहति स्वेच्छया पूर्वक पहुँचाई गई?

12. फरियादी रामकृष्ण अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहिचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि सन् 2013 से करीब चार साल पहले फाल्गुन महीने की बात है। मौ रोड पर दिन के करीब दस बजे उसका भाई भैंस लेकर जा रहा था, वह भी उसके पीछे-पीछे जा रहा था। आरोपीगण ने उसके भाई प्रीतम से शराब के लिए पैसे मांगे थे तथा प्रीतम की मारपीट की थी। आरोपी रामलखन ने लाठी मारी थी जो कि प्रीतम के

सिर पर और बांह में लगी थी। आरोपी मनोज ने उसे लाठी मारी जो उसके बाएं हाथ के पीछे लगी थी जिसमें कि फ्रेक्चर हो गया था और रामलखन ने सिर में लाठी मारी थी जिससे सिर फटकर खून निकला था। प्रीतम का साला कमलेश बीच बचाव करने आया तो उसे भी लाठी लगी थी और उसका हाथ टूट गया और पैरों में चोट आई थी। उसने थाना मालनपुर में घटना की रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र.पी. 1 है और फिर अस्पताल में उनका इलाज हुआ था।

13. घटना का अन्य आहत साक्षी प्रीतम सिंह अ0सा0 2 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि घटना दिनांक को वह रास्ते में भैंस लेकर आ रहा था। आरोपीगण ने शराब के लिए उससे पैसे मागे और माँ बहन की गालियाँ दी थी। आरोपी बीरेन्द्र ने उसे लुहांगी लाठी से सिर पर मारा था जिससे सिर फटकर खून निकल आया था और लाखन और बीरेन्द्र ने भी उसे लाठी मारी थी जो कि उसके हाथ में लगी जिससे हाथ में सूजन आ गई थी। मनोज ने एक लाठी रामकृष्ण को मारी, दूसरी लाठी लखना ने मारी और तीसरी लाठी मुरारी ने मारी थी जिससे रामकृष्ण को भी चोटें आई थी। उसका साला कमलेश बचाने के लिए आया तो उसकी भी आरोपी ने मारपीट की थी और उसे भी चोटें आई थी। घटना की रिपोर्ट थाने में की गई थी। अस्पताल में भर्ती रहे थे। इसी प्रकार साक्षी कमलेश अ0सा0 3 ने भी अपने साक्ष्य कथन में बताया कि घटना दिनांक को वह ग्राम लहचूरा में अपने बहिनोई के यहाँ था। होली की दौज के दिन की बात है। प्रीतम, रामकृष्ण और वह भैंसे चराने के लिए जा रहे थे। गाँव के बाहर आरोपी बीरेन्द्र, मुरारी, रामलखन और मनोज मिले। आरोपीगण ने प्रीतम से शराब के लिए पैसे मांगे प्रीतम ने मना किया तो बीरेन्द्र ने प्रीतम को लाठी मारी जो कि उसे सिर पर लगी। प्रीतम के बड़े भाई रामकृष्ण जो कि साथ में थे उन्हें भी रामलखन ने लाठी मारी जिससे उनका सिर फट गया और उनके हाथ में भी लाठी से चोट आकर फ्रेक्चर हो गया था फिर उसने बीच बचाव किया था। बीच बचाव करते समय उसे भी रामलखन ने लाठी मारी जो कि उसके सिर पर लगी और खून निकल आया तथा उसके हाथ में भी लाठी मारी जिससे हाथ टूट गया था। रामरूप एवं बृन्दावन ने आकर बीच बचाव किया था। फिर उन्हें थाने ले जाया गया और अस्पताल में उनका इलाज हुआ था। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो कि नक्शा मौका प्र.पी. 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी मुरारी, रामलखन और बीरेन्द्र को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 3 लगायत 5 तैयार किये थे जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी बीरेन्द्र से एक वॉस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 तैयार किया था एवं आरोपी मुरारी से भी लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 तैयार किया था तथा आरोपी रामलखन से भी एक लाठी

जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 8 तैयार किया था।

14. घटना के संबंध में अन्य साक्षी रामरूप अ0सा0 4 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह सुबह 09-10 बजे अपने घर पर था। उसे मालूम पड़ा कि झगडा हो गया है और उसके भाईयों को लाठी मारी गई है तब वह घटना स्थल पर पहुँचा तो आरोपी बीरेन्द्र, लाखन, मुरारी और मनोज उसे देखकर भाग गए। उसने देखा कि प्रीतम के सिर में चोट थी और रामकृष्ण के हाथ में चोट थी तथा कमलेश को भी हाथ में चोट थी। उसे प्रीतम ने बताया था कि आरोपीगण शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे इस कारण उनके साथ मारपीट की गई है। उसके बाद मालनपुर से गाडी आई थी, आहतगण चले गए थे। पुलिस आई थी और पुलिस को उसने वयान दिया था।

15. साक्षी आत्माराम शर्मा अ0सा0 8 तत्कालीन थाना प्रभारी थाना मालनपुर के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि वह दिनांक 02.03.2010 को थाना मालनपुर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ दौरान फरियादी रामकृष्ण के द्वारा आरोपी मनोज, लाखन, मुरारी एवं बीरेन्द्र के खिलाफ रिपोर्ट की गई थी जो कि फरियादी ने जैसा बोली थी उसी प्रकार की रिपोर्ट अंतर्गत धारा 327, 324, 323, 294, 34 भा0दं0वि0 उनके द्वारा लिखी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने आहत रामकृष्ण, कमलेश और प्रीतम को इलाज हेतु गोहद अस्पताल रवाना किया था।

16. प्रकरण के विवेचना अधिकारी सुरेश शर्मा अ.सा. 7 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 02.03.2010 को थाना मालनपुर में ए.एस.आई के पद पर पदस्थ दौरान अपराध क्रमांक 28/2010 धारा 327, 323, 34 भा0दं0वि0 की डायरी विवेचना हेतु उसे प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान साक्षी कमलेश की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्र.पी. 2 है जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को साक्षी प्रीतम का कथन प्र.डी. 2 लेखबद्ध किया गया था तथा दिनांक 04.03.2010 को साक्षी रामरूप, बृन्दावन के कथन लेखबद्ध किए गए थे। दिनांक 03.03.2010 को आरोपी मुरारी, रामलखन, बीरेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 3, 4, 5 तैयार किये थे। उक्त दिनांक को ही आरोपी बीरेन्द्र से एक बॉस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 तैयार किया था और आरोपी मुरारी से एक बॉस का डंडा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 तैयार किया एवं आरोपी रामलखन से एक बॉस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 8 तैयार किया था एवं दिनांक 05.04.2010 को आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 12 तैयार किया था। आरोपी मनोज से एक बॉस की लाठी जिस पर कि नीचे के भाग पर लोहे का कंबूरा टाइप का लगा था जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 तैयार किया था जिस पर उसके

हस्ताक्षर है।

17. घटना के संबंध में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है। घटना दिनांक 02.03.2010 के दस बजे दिन के करीब होना बताई गई है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिनांक को 11 बजे दिन थाना मालनपुर में दर्ज कराई गई है। घटना स्थल से थाने की दूरी तीन किलोमीटर होना बतायी गई है। इस प्रकार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अंतर्गत थाना में दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 दर्ज कराना साक्षी रामकृष्ण अ0सा0 1 के द्वारा प्रमाणित किया है तथा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराना साक्षी आत्माराम शर्मा अ0सा0 8 तत्कालीन थाना प्रभारी मालनपुर के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है जिन्होंने फरियादी रामकृष्ण के बताए अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 लेखबद्ध करना और रिपोर्ट में ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना तथा आहतों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा जाना बताया है। इस संबंध में साक्षी आत्माराम शर्मा अ0सा0 8 के प्रतिपरीक्षण उपरांत कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है।

18. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में फरियादी रामकृष्ण अ0सा0 1 के द्वारा यह बताया गया है कि वह प्रीतम से थोड़ी दूर पीछे आ रहा था। सबसे पहले प्रीतम की मारपीट हुई थी उसके दस मिनट बाद उसके साथ मारपीट हुई थी। शराब पीने के लिए पैसे की मांग के संबंध में प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 में उसके द्वारा बताया गया कि सभी अभियुक्तगणों ने उसके भाई प्रीतम से पैसे मांगे थे। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो कि फरियादी रामकृष्ण के द्वारा दर्ज कराई गई है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि लखना उर्फ रामलखन ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे और उसने पैसे देने से मना कर दिया। किन्तु साक्षी रामकृष्ण के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी यह नहीं बताया है कि शराब पीने के लिए आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा उससे पैसे की मांग की गई थी। मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा उसके भाई प्रीतम से आरोपीगण के द्वारा शराब के लिए पैसे मांगने की बात बताई जा रही है और इसी प्रकार पुलिस कथन प्र.डी. 1 में भी उसके द्वारा उससे उससे पैसे मागे जाने वाली बात बताई है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कि शराब पीने के लिए उससे पैसे की मांग की गई। घटना के फरियादी के कथनों में तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास आना स्पष्ट होता है।

19. प्रकरण में अभियोजन के द्वारा पेश किए गए साक्षियों के कथन का मुख्य परीक्षण जिनका कि पूर्व में वर्णन किया गया है जिसमें फरियादी रामकृष्ण अ0सा0 1 का कथन भी है, से स्पष्ट होता है कि अवैध रूप से शराब पीने के लिए पैसे की मांग साक्षी/आहत



प्रीतम सिंह से की जानी बताई जा रही है। साक्षी प्रीतम के द्वारा यह बताया गया है कि जब वह रास्ते में भैंस लेकर आ रहा था तो आरोपीगण ने शराब के लिए उसे पैसों की मांग की थी, इसके बाद मारपीट की घटना घटित की गई थी जिसमें उसे चोटें आई थी। साक्षी प्रीतम सिंह अ.सा. 2 के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसका साला कमलेश गोदरेज फेक्ट्री मालनपुर में नौकरी करता है। फेक्ट्री में जब उसे घटना के बारे में मालूम पड़ा तब वह घटना स्थल पर आया था। घटना दिनांक को वह फेक्ट्री में नौकरी कर रहा था। फेक्ट्री में किसी ने उसे खबर दी कि तुम्हारे जीजा का झगडा हो गया है, तब वह आया था। गोदरेज फेक्ट्री घटना स्थल से आधा किलोमीटर दूर है, जहाँ आने जाने में दस मिनट का समय लग जाता है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि रामकृष्ण जब घटनास्थल पर आया तब तक उसे 8-10 लाठी लग चुकी थी, उसकी मारपीट हो चुकी थी। जब रामकृष्ण आया वह जमीन पर पड़ा था। साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि वह और उसका भाई रामकृष्ण घटना स्थल पर अपने से एक साथ इकट्ठे नहीं थे। उसे 08-10 लाठी लग गई थी तब रामकृष्ण आया था। शराब के लिए पैसों की मांग के संबंध में बीरेन्द्र और लाखन के द्वारा शराब के लिए पैसों की मांग करना बताया जा रहा है। उसके भाई रामकृष्ण से शराब के लिए कोई पैसों की मांग नहीं की गई थी। इस संबंध में पुलिस कथन प्र.डी. 2 में ए से ए भाग का अंश जिसमें कि उससे एवं उसके भाई रामकृष्ण वधेल से शराब पीने के लिए पैसे मांगने की बात का उल्लेख है। इस प्रकार का कथन पुलिस को न देना बताया है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि जब उक्त पैसे मांगने वाली बात हुई थी उस समय उसका साला कमलेश नहीं आया था। आरोपी बीरेन्द्र के द्वारा भी शराब पीने के लिए पैसा मांगा गया था, जब कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में बीरेन्द्र के द्वारा पैसे मागे जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी के कथन में लोप है। पुलिस कथन प्र.डी. 2 में उसके भाई रामकृष्ण वधेल से शराब पीने के लिए पैसे मांगने की बात का उल्लेख आया है, जबकि न्यायालय में हुए कथन में सभी आरोपीगण द्वारा शराब पीने के लिए उससे पैसे मांगने की बात बता रहा है। इस प्रकार इस बिन्दु पर साक्षी के कथनों में तात्त्विक विरोधाभास है।

20. आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा शराब पीने के लिए फरियादी से पैसे मागे जाने के संबंध में साक्षी कमलेश अ0सा0 3 के द्वारा सभी आरोपीगण के द्वारा शराब पीने के लिए पैसे मागे जाने वाली बात बताई है। प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पैसों की मांग प्रीतम और रामकृष्ण दोनों से की गई थी। कंडिका 8 में बताया कि सभी आरोपीगण ने शराब पीने के लिए उनसे पैसे मागे थे। आरोपीगण ने कितने पैसे मांगे थे वह नहीं बता सकता। इस संबंध

में यह उल्लेखनीय है कि घटना के आहत प्रीतम अ०सा० 2 के द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि घटना के संबंध में उसका साला अर्थात् वर्तमान साक्षी कमलेश गोदरेज फेक्ट्री में काम कर रहा था तथा उसके साथ घटना घटित होने की जानकारी किसी के द्वारा दी जाने पर वह बाद में घटना स्थल पर आया था। इस प्रकार साक्षी कमलेश की घटना स्थल पर शुरू से आहत प्रीतम के साथ मौजूदगी अथवा उसके समक्ष शराब पीने के लिए आरोपीगण के द्वारा पैसे मांगे जाने के संबंध में साक्षी के द्वारा किया गया कथन विश्वसनीय नहीं पाया जाता।

21. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य किसी भी साक्षी के द्वारा घटना घटित होने के पूर्व आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादी रामकृष्ण अथवा अन्य आहत प्रीतम या कमलेश से शराब पीने के लिए पैसे की मांग किये जाने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है। इस प्रकार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण या अन्य किसी आरोपी के द्वारा शराब पीने के लिए फरियादी रामकृष्ण वधेल या अन्य फरियादी से अवैध रूप से कोई पैसे की कोई मांग की गई है, ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ है।

22. यद्यपि प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादीगण से अवैध रूप से पैसे की मांग की गई है और इस अनुक्रम में उनके साथ मारपीट की घटना की गई हो। इस संबंध में फरियादी रामकृष्ण अ०सा० 1 एवं अन्य आहत प्रीतम सिंह अ०सा० 2, कमलेश अ०सा० 3 के कथन विश्वसनीय होने नहीं पाए गए हैं, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त तथ्य के संबंध में अभियोजन साक्षियों को विश्वसनीय होना नहीं पाया गया है, यह उनके सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकता। "Falaus in uno, Falsus in Omnibus" "एक बात पर असत्य सब बात पर असत्य" का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। मात्र इस आधार पर कि साक्षी के साक्ष्य कथन का कुछ भाग सत्य होना नहीं पाया गया है, साक्षी के सम्पूर्ण कथन को झूठा मानने का आधार नहीं हो सकता। किसी साक्षी के कथन को न्यायालय के द्वारा एक बिन्दु पर विश्वास योग्य होना नहीं पाया गया हो तो यह उसके सम्पूर्ण कथन पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनाज को भूसे से पृथक् करे। जैसा कि इस संबंध में **जेकी वि. स्टेट 2007 सी.आर.एल.जे. एवं हरीशचंद विरुद्ध स्टेट ऑफ दिल्ली एवं कालीगुरम पदयाराय वि. स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश 1671 ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 1477, ए.आई.आर 2007 एस.सी. 1299** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिधारित किया गया है।

23. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में विचार

किया जाना उचित है। घटना के आहत प्रीतम सिंह अ0सा0 2 जिसके साथ सर्वप्रथम मारपीट की घटना होना बताई गई है। उक्त साक्षी ने चारों आरोपीगण लाखन, मुरारी, मनोज और बीरेन्द्र की घटना स्थल पर मौजूदगी और उनके द्वारा उसके साथ मारपीट करने के बारे में बताया है जो कि लाखन, बीरेन्द्र ने उसके हाथ में लाठी मारी जिससे कि सूजन आ जाना तथा बीरेन्द्र के द्वारा लुहांगी लाठी से सिर में भी मारना बताया है। इसके पश्चात् रामकृष्ण बचाने आया तो उसे भी मनोज, लखना और मुरारी के द्वारा लाठियों से मारपीट कर चोट पहुँचाना तथा उसका साला कमलेश बचाने आया तो उसे भी आरोपीगण के द्वारा मारपीट कर चोट पहुँचाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर साक्षी ने कंडिका 2 में बताया कि मनोज ने उसके डेरे (वांए) वखा में लाठी मारी थी और मुरारी ने उसकी पीठ में लाठी मारी थी। मनोज और मुरारी के द्वारा लाठियों से मारपीट की बात उसने पुलिस को वयान देते समय बता दिया था। उक्त साक्षी के कथन का जहाँ तक प्रश्न है। उसके साथ मारपीट कर चोट पहुँचाई जाना और उक्त घटना के संबंध में सभी आरोपीगण की घटना स्थल पर मौजूद होने के संबंध में उसके द्वारा किए गए कथनों में कोई भी गंभीर या तात्विक प्रकार का विरोधाभाष अथवा बिसंगति आनी दर्शित नहीं होती, जिससे कि साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। यह स्वाभाविक भी नहीं है कि यदि कई व्यक्ति मिलकर एक आदमी के साथ मारपीट कर रहे हों तो वह हर व्यक्ति के द्वारा मारी जा रही चोटों की गिनती करे और न्यायालय के समक्ष यंत्रवत रूप से उनका वर्णन कर सके।

24. घटना के अन्य आहत रिपोर्ट कर्ता रामकृष्ण अ0सा0 1 के कथनों से भी घटना दिनांक को घटना स्थल पर सभी आरोपीगण की मौजूदगी और आरोपीगण के द्वारा पहले प्रीतम के साथ मारपीट किया जाना तथा उसके पहुँचने पर आरोपी मनोज ने लाठी मारना जो कि डेरे (वांया) हाथ के पौहचे में लगना जिससे फेक्चर हो जाना और उसके सिर में भी रामलखन के द्वारा लाठी मारना। प्रीतम का साला कमलेश बीच बचाव करने आया तो उसको भी लाठियों से मारपीट करने जिससे कि उसका भी हाथ टूट जाना साक्षी के द्वारा बताया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि सबसे पहले प्रीतम की मारपीट की गई थी उसके बाद वह आया तो आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी और कमलेश बीच बचाव करने आया तो कमलेश को भी चोटें आई थी। उक्त साक्षी की घटना स्थल पर मौजूदगी और उसके साथ घटना घटित होने का तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उपरोक्त बिन्दु पर कोई भी तात्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभाष या बिसंगति या लोप आना भी दर्शित नहीं होता, जिससे कि साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। साक्षी के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध किसी रंजिश के कारण अथवा उन्हें झूठा लिप्त करने हेतु कोई

कथन किया जा रहा है ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है। यद्यपि उसको आई हुई सभी चोटों के संबंध में किस आरोपी के द्वारा कहाँ-कहाँ चोटें पहुँचाई गईं ऐसा साक्षी स्पष्ट तौर से नहीं बता पाया है, किन्तु जब कई व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की जा रही हो तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि हर चोट के बारे में कि वह किस के द्वारा कहाँ पर पहुँचाई जा रही है यह स्पष्ट किया जा सके। इस प्रकार जहाँ तक आरोपीगण के घटना स्थल पर मौजूद होना और उनके द्वारा उसकी और उसके भाई प्रीतम तथा कमलेश के साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुँचाए जाने का प्रश्न है। इस बिन्दु पर साक्षी का कथन विश्वास योग्य पाया जाता है।

25. घटना का अन्य आहत कमलेश अ0सा0 3 ने भी अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण के घटना स्थल पर मौजूद होने और उनके द्वारा सबसे पहले प्रीतम के साथ मारपीट करना और प्रीतम के बड़े भाई रामकृष्ण को भी लाठियों से मारपीट करना जो कि रामलखन ने सिर में लाठी मारना तथा रामकृष्ण को हाथ में भी लाठी से चोट पहुँचाई जाना बताया है। साक्षी ने यह भी बताया कि बीच बचाव करने गया तो उसे भी लाठियों से मारपीट की गई जो कि उसके सिर में और हाथ में लाठियाँ लगी जिससे हाथ टूट गया था। उक्त साक्षी यद्यपि घटना प्रारंभ होने के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था जैसा कि साक्ष्य से स्पष्ट है, किन्तु घटना घटित होने के दौरान वह घटना स्थल पर आ गया था और उसके द्वारा बीच बचाव करने के दौरान उसके साथ मारपीट की गई है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत इस बिन्दु पर उसके कथन में कोई भी तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास, बिसंगति अथवा लोप होना दर्शित नहीं होता जिससे कि उसके द्वारा इस संबंध में किये गये कथन की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। साक्षी के द्वारा आरोपी पक्ष से किसी प्रकार की रंजिश के कारण उनके विरुद्ध कथन किया जा रहा हो अथवा उन्हें घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा घटना स्थल पर मारपीट की घटना कारित किया जाना जिसमें कि इस संबंध में अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि उक्त साक्षी के कथन से होती है।

26. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामरूप अ0सा0 4 के द्वारा बताया गया है कि उसे घर पर मालूम चलने पर कि झगडा हो गया है। वह घटना स्थल पर पहुँचा तो उसने देखा कि आरोपी बीरेन्द्र, लाखन, मुरारी और मनोज घटना स्थल से भाग रहे थे। उसने प्रीतम के सिर व रामकृष्ण के हाथ व सिर तथा कमलेश के हाथ में चोटें देखी थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि उसके आने के पहले ही मारपीट की घटना हो चुकी थी जो कि इस बिन्दु पर साक्षी के द्वारा स्वभाविक रूप से कथन किया जाना स्पष्ट है। निश्चित तौर से उक्त साक्षी यद्यपि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, किन्तु

उसके द्वारा आरोपीगण को घटना स्थल से भागते हुए तथा आहतों को घायल अवस्था में घटना के तुरंत पश्चात् देखा गया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है जिससे कि उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। इस प्रकार साक्षी के कथन से भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी पाई जाती है।

27. मारपीट की घटना में आहतों को चोटें आकर गंभीर उपहति आने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि चिकित्सक साक्ष्य के आधार पर भी होनी पाई जाती है, जो कि चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 5 जिन्होंने कि घटना दिनांक को ही आहत रामकृष्ण, कमलेश एवं प्रीतम का चिकित्सीय परीक्षण किया है और उनके चिकित्सीय परीक्षण में शरीर पर चोटें आनी पाई गई जो कि पेरा क्रमांक 7, 8 एवं 9 में बताई गई है, जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की चोटें होना उनके द्वारा बताया गया है। चिकित्सक के द्वारा आहत रामकृष्ण की अलना हड्डी में, आहत प्रीतम की दूसरी और तीसरी मेटाकार्पल हड्डी में तथा आहत कमलेश के अलना हड्डी के नीचे के भाग में अस्थिभंग होना पाया गया है। चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 5 को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि धारदार पत्थर या कृषि उपकरण पर गिरने से चोटें आना संभावित है। जैसा कि उन्होंने आ सकना संभावित होना बताया है, किन्तु आहतों को धारदार पत्थरों अथवा कृषि उपकरणों के उपर गिरने से कोई चोट आई हो ऐसा कोई भी सुझाव बचाव पक्ष के द्वारा आहतों को स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त चोटों की प्रकृति के अनुसार चोटें पत्थर पर गिरने या कृषि उपकरणों पर गिरने से आ सकना भी मान्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 5 के कथन से भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी पायी जाती है। उनके कथनों से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि घटना में आई हुई चोटों के कारण आहत रामकृष्ण, प्रीतम और कमलेश को अस्थिभंग होकर घोर उपहति कारित हुई है।

28. प्रकरण की विवेचना अधिकारी सुरेश शर्मा अ0सा0 7 जिन्होंने कि घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 2 एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध कराना तथा आरोपीगण की गिरफ्तार की है तथा आरोपी बीरेन्द्र से एक बांस की लाठी, मुरारी से भी एक बांस का डंडा और रामलखन से बांस की लाठी तथा आरोपी मनोज से भी एक बांस की लाठी जप्त करना बताया है। नक्शा मौका प्र.पी. 2 में स्पष्ट रूप से घटना स्थल को दर्शाया गया है। नक्शा मौका प्र.पी. 2 साक्षी कमलेश अ0सा0 3 के द्वारा भी बनाया जाना प्रमाणित किया गया है। इसके अतिरिक्त आरोपीगण से बांस की लाठियों की जप्ती का तथ्य भी विवेचना अधिकारी के द्वारा स्पष्ट तौर से बताया गया है। विवेचना अधिकारी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है। विवेचना अधिकारी के द्वारा फरियादी पक्ष से मिलकर अथवा आरोपी पक्ष

से किसी पूर्वगृह से गृसित होकर विवेचना की कार्यवाही की गई है। ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है।

29. बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्क में यह आधार लिया गया है कि फरियादीगण परस्पर संबंधी है जो कि हितबद्ध पक्षकार है किसी भी, स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है, साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि घटना दिनांक को फरियादीगण के द्वारा बलराम जो कि आरोपीगण के पिता है के साथ मारपीट की गई थी जिसकी रिपोर्ट उनके पिता बलराम के द्वारा थाना मालनपुर में की गई थी उक्त प्रकरण से बचने के उद्देश्य से आरोपीगण के द्वारा वर्तमान झूठी रिपोर्ट की गई है। बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी के रूप में बलराम ब0सा0 1 एवं रामजीलाल ब0सा0 2 के कथन कराए गए हैं।

30. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया यह आधार कि फरियादी/आहतगण आपस में रिस्तेदार है। इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि फरियादी रामकृष्ण और प्रीतम भाई हैं और आहत कमलेश प्रीतम का साला है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि आहतगण परस्पर संबंधी है उनके साक्ष्य कथन को अमान्य करने या उस पर संदेह करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **बीरेन्द्र फोद्दार वि० स्टेट ऑफ विहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233 एवं मानो वि० स्टेट ऑफ तमिलनाडू 2007 सी.आर.एल.जे. 2736 एस.सी.** में यह अभिधारित किया गया है। ऐसी दशा में जब कि फरियादी व अन्य साक्षी घटना के आहतगण भी हैं जिनकी कि घटना स्थल पर मौजूदगी प्रमाणित है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि एक-दूसरे से संबंधित है, उनके कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता। जहाँ तक स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा घटना की पुष्टि का प्रश्न है। यह कोई नियम नहीं है कि हर घटना की सम्पुष्टि हेतु कोई तथा कथित स्वतंत्र व्यक्ति साक्ष्य हेतु आगे आए और न्यायालय में उसकी पुष्टि करे। वर्तमान प्रकरण में फरियादी एवं आहतगण की स्पष्ट साक्ष्य है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का आधार नहीं हो सकता है।

31. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव में प्रस्तुत बचाव साक्षियों में बलराम ब0सा0 1 जो कि आरोपीगण का भाई और पिता है के द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि होली की पडवा फाल्गुन महीने में वह अपने घर से बकरी लेकर जा रहा था, पीछे से प्रीतम अपनी भैंसे लेकर आ रहा था। प्रीतम ने उसकी बकरी में लाठी दी थी और उसको भी मुँह में लाठी मार दी थी। बृन्दावन ने उसके हाथ पकड़ लिए और कमलेश ने मुँह और गर्दन पकड़ कर मरोड़ दी थी।

प्रीतम, लाखन और बृन्दावन ने उसे लाठी मारी मारी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में की थी जहाँ कि अदमचैक काटी गई थी जो कि प्र.डी. 1 है जिसे कि संसोधित कर प्र.डी. 3 के रूप में अंकित किया गया है।

32. बचाव साक्षी बलराम के द्वारा की गई उपरोक्त अदमचैक की रिपोर्ट प्र.डी. 3 का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त अदमचैक रिपोर्ट दिनांक 02.03.2010 के 16:00 बजे अर्थात् शाम को चार बजे थाना मालनपुर में दर्ज कराई गई है जबकि घटना सुबह 10 बजे की होनी बताई गई है। फरियादी पक्ष के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के एक घण्टे के अंदर अर्थात् 11 बजे थाना मालनपुर में दर्ज करा दी गई है। इस प्रकार जो अदमचैक रिपोर्ट बचाव पक्ष के द्वारा बताई जा रही है वह फरियादीगण के रिपोर्ट के काफी समय पश्चात् दर्ज कराई गई है। उक्त अदमचैक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में बचाव साक्षी बलराम के द्वारा कोई कार्यवाही की गई अथवा पुलिस के द्वारा विवेचना योग्य कोई अपराध पाया गया है ऐसा भी कहीं दर्शित नहीं होता है। ऐसी दशा में यदि बलराम के द्वारा कोई अदमचैक रिपोर्ट दर्ज कराई भी गई है तो मात्र उक्त आधार पर कि घटना फरियादीगण के द्वारा किया जाना मानते हुए आरोपीगण के बचाव का कोई आधार होना नहीं माना जा सकता।

33. बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी रामजीलाल ब0सा0 2 घटना के समय रोड पर जा रहा था ऐसा बताया है, किन्तु घटना किस दिनांक एवं किस समय की है ऐसा कहीं भी उसके द्वारा नहीं बताया गया है, किन्तु उक्त साक्षी यह बता रहा है कि आरोपीगण एवं फरियादीगण के बीच मुँहवाद हो गया था, उसने बीच बचाव किया था। आरोपीगण द्वारा कोई भी मांग नहीं की गई थी और न ही कोई मारपीट की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि वह नहीं बता सकता कि मारपीट में फरियादी को चोटें आई थी और उनका इलाज हुआ था। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण साक्ष्य हेतु उसे अपने साथ लाए है। उक्त साक्षी रामजीलाल की घटना स्थल पर मौजूदगी अथवा उसके द्वारा घटना देखा जाना उसके समग्र साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित भी नहीं होता। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी रामजीलाल के द्वारा कभी-भी विवेचना अधिकारी अथवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी कोई कथन नहीं दिया गया है कि आरोपीगण को झूठा लिप्त किया गया है। उसके द्वारा प्रथम बार न्यायालय में ही उपस्थिति होकर उक्त प्रकार के कथन किए जा रहे हैं। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के कथन के आधार पर अभियोजन का सम्पूर्ण प्रकरण संदेहास्पद माना जाकर उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है।

34. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि यह प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है कि घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर आरोपीगण या किसी



आरोपी के द्वारा फरियादीगण से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की गई थी और उक्त अवैध मांग की पूर्ती में उनके द्वारा फरियादीगण के साथ मारपीट की कोई घटना की गई है। किन्तु प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर आरोपीगण मुरारी, मनोज, बीरेन्द्र एवं रामलखन की उपस्थिति व उनके द्वारा आहत प्रीतम और फरियादी रामकृष्ण व कमलेश के साथ मारपीट किया जाना प्रमाणित है। मारपीट की उक्त घटना फरियादी पक्ष के किसी अचानक प्रकोपन के कारण कारित किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, बल्कि उक्त मारपीट की घटना आरोपीगण के द्वारा स्वेच्छया पूर्वक की जानी प्रमाणित होती है। मारपीट की उपरोक्त घटना में आहत प्रीतम, रामकृष्ण और कमलेश को अस्थिभंग होकर गंभीर उपहति कारित होना भी प्रमाणित है। मारपीट की उपरोक्त घटना आरोपीगण के द्वारा सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए किया जाना भी प्रकरण में आई हुई साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रमाणित होता है। यद्यपि आरोपीगण के द्वारा घटना दिनांक को फरियादीगण को सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ किए जाना का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

35. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यद्यपि आरोपीगण के विरुद्ध धारा 329 अथवा विकल्प में धारा 329/34 भा०दं०वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध प्रमाणित नहीं होती है, किन्तु आरोपीगण के विरुद्ध धारा 325 सहपठित धारा 34 भा०दं०वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध प्रमाणित होनी पाई जाती है। जबकि धारा 294 भा०दं०वि० के आरोप से आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराया जाने का कोई आधार नहीं है।

36. अतः आरोपीगण को धारा 329 विकल्प में धारा 329/34 भा०दं०वि० से दोषमुक्त करते हुए उसके स्थान पर धारा 325 सहपठित धारा 34 भा०दं०वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। धारा 294 भा०दं०वि० के आरोप से आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है।

37. दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

पुनश्चयः—

38. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उनका निवेदन है कि आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित प्रथम अपराध है, उनका पूर्व का कोई आपराधिक



रिकार्ड भी नहीं है। आरोपीगण नवयुवक है जिन पर अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं। ऐसी दशा में दंड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किये जाने और विकल्प में न्यूनतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है।

39. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध धारा 325 सहपठित धारा 34 भा0द0सं0 के अंतर्गत दोषसिद्ध होनी प्रमाणित पाई गई है। अपराध की प्रकृति एवं घटना के तथ्यों, परिस्थितियों में आरोपीगण को आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

40. आरोपीगण मुरारी, मनोज, बीरेन्द्र एवं रामलखन उर्फ लखना के विरुद्ध धारा 325 सहपठित धारा 34 भा0द0सं0 के अंतर्गत दोषसिद्ध होनी पाई गई है। अपराध की प्रकृति एवं घटना के तथ्यों, परिस्थितियों में जो कि आहत कमलेश, प्रीतम एवं रामकृष्ण को उपरोक्त घटना में अस्थिभंग होकर गंभीर उपहति कारित हुई है। आरोपीगण प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 4000/- 4000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक आरोपी को 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाए। आरोपीगण के द्वारा प्रकरण के विचारण और जाँच के दौरान न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि मूल सजा में समायोजित की जाए।

41. अर्थदण्ड जमा होने पर 5000/-5000/-रूपए आहत रामकृष्ण पुत्र हरिविलास, प्रीतम पुत्र हरिविलास दोनो निवासी ग्राम लहचूरा तथा आहत कमलेश पुत्र दुर्जनलाल वघेल निवासी ग्राम बरथरा को प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा चार लाठियों को मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाए। अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।  
गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड